

राजस्थान सरकार  
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 11(1)मं.सं./1998

जयपुर, दिनांक: 26-2-2013

आज्ञा

इस सचिवालय की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 10.3.1999 एवं दिनांक 5.4.2010 के अतिक्रमण में माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्रिगण को उनके उपयोग हेतु इकजाई आदेश जारी करते हुए निजी सचिव की पात्रता में राज्यसेवा के अधिकारी की योग्यता एवं अनुभव की शर्त जोड़ने का संशोधन किया जाता है:-

क.सं.	सुविधाएँ
1.	इच्छित स्थान-जिला मुख्यालय अथवा जयपुर में एक राजकीय आवास निशुल्क आवंटित किया जावेगा ।
2.	निजी सचिव ।
3.	मंत्रिगण के समान प्रोटोकॉल सुविधा ।
4.	एक वरिष्ठ लिपिक एवं एक कनिष्ठ लिपिक ।
5.	दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ।
6.	एक राजकीय वाहन मय वाहन चालक एवं 250 लीटर पेट्रोल प्रतिमाह ।
7.	विद्युत उपभोग 1000 यूनिट प्रतिमाह ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

sd/-

(चन्द्र मोहन मीना)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान ।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान ।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान ।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिवगण ।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
6. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान ।
8. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण/संसदीय सचिवगण ।
9. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान ।
10. निजी सचिव पूर्व मुख्यमंत्रिगण, राजस्थान ।
11. निजी सचिव, अध्यक्षगण समस्त आयोग, राजस्थान ।
12. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क, राजस्थान, जयपुर ।
13. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
14. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर ।
15. पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर ।
16. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग ।
17. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त शासन सचिव